International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 10 Issue 3, March- 2020
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

हिन्दू समाज में विधवाओं की सामाजिक स्थिति

डॉ0 दीपशिखा
इतिहास विभाग,
वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा (बिहार)

हिन्दू समाज में विधवाओं की दयनीय और पीड़ादायक स्थिति ने समाज सुधारकों का ध्यान आकृष्ठ किया। जैसे–जैसे विधवाओं पर सामाजिक प्रतिबंध बढ़ने लगा, उनका जीवन कष्टप्रद और यातनामय होने लगा। विधवाओं ने सामाजिक और परिवारिक यातनाओं से मुक्ति पाने के लिए पति शव के साथ जलकर मुक्ति पाना अपना कल्याण समझा। राजा राममोहन राय ने सती–प्रथा, बाल–विवाह, बहु–विवाह और स्त्री–अशिक्षा से उत्पन्न महिलाओं की सोचनीय दशा में सुधार के लिए अथक प्रयास किया, फलस्वरूप तत्कालीन गर्वनर जनरल लॉर्ड विलियम बैन्टिक ने 1829 में राजा राममोहन राय के सहयोग से सती–प्रथा निषेध कानून बनाया जिसे 1833 में लागू किया गया। रूढ़िवादियों के विरोध के बावजूद इस कानून के पक्ष में जनमत तैयार कर सती–प्रथा का कानूनी स्तर पर अन्त करने में राजा राममोहन राय सफल हुए।

धार्मिक सत्ताधारियों के विरोध के बावजूद महान समाज सुधारक ईश्वरचन्द्र विद्यासागर के अथक प्रयास से 1956 में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया। कट्टरपंथियों ने इस कानून का भी कड़ा विरोध किया। महाराष्ट्र के स्त्री समाज सुधारक रमाबाई ने 1888 में अपनी पुस्तक The High Caste Hindu Widow में विधवा के पुनर्विवाह के प्रति

पुरूषों के रूढ़िवादी विचारों की तर्कपूर्ण आलोचना किया। महात्मा फुले ने विधवाओं के सिर–मुण्डन और सती–प्रथा का जमकर विरोध किया।

समाज सुधारकों के प्रयास से विधवाओं के कष्ट निवारण में अपेक्षित प्रगति हुई। केशवचन्द्र की प्रेरणा से स्थापित प्रार्थना समाज ने विधवाओं के पुनर्विवाह की कानूनी स्वीकृति और आवश्यकता का प्रचार किया। गोविन्द रानाडे तथा बालगंगाधर तिलक ने विधवा विवाह आन्दोलन का सफल नेतृत्व किया और विधवाओं को शिक्षित करने के लिए विधवा आश्रम संघ स्थापित किया। विधवाओं को शिक्षिका, परिचारिका अथवा दाइयों के रूप में प्रशिक्षित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया गया। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानन्द सरस्वती भी बाल–विवाह, दहेज–प्रथा और सती–प्रथा के विरोध में अभियानरत रहे और विधवा–विवाह का भी समर्थन किया। इन सराहनीय प्रयासों तथा कानूनी प्रावधानों के बावजूद सामन्ती मानसिकता के चलते महिलाओं के मौलिक अधिकारों के संरक्षण की समस्या समाज के समक्ष गंभीर चुनौती बनी हुई है। महिलाओं को गरिमामय जीवनयापन का मार्ग प्रशस्त करने में इन महान समाज सुधारकों के अनमोल योगदान के लिए भारतीय समाज चिर ऋणी रहेगा।

महिलाओं के उत्पीड़न के लिए जिम्मेवाद पुरूषों की वर्चस्ववादी रणनीत की व्याख्या करते हुए सुप्रसिद्ध नारीवादी लेखिका श्रीमती चित्रा मुगदल का मंतव्य है कि ''वर्चस्ववादिता की भावना से आक्रांत अहंकारी पितृसत्ता ने स्त्री की चेतना का नियंत्रण बनाए रखने के लिए उसे देवी के पद से अपदस्थ कर समय–समय पर दोहरे मानदण्डों की निर्मितियाँ कर उसे भोंया के रूप में सीमित करने के लिए ऐसे–ऐसे मोहान्ध करनेवाले विशेषज्ञों से उसे अलंकृत किया कि स्त्री भ्रमित हो स्वयं को सुमुखी, रंभा, पयोधरा, काम्या, क्षीणकारिका आदि विशेषण को

ही अपने पहचान मान बैठी और यही से आरंभ हो गया, उसकी पराधीनता का सफर, खो बैठी वह अपने वजूद की पहचान, बन गयी वह पुरूष की परछाई।'' ''किन्तु जैसे ही वह उसकी अधीनता और नियंत्रण से मुक्ति की आकांक्षा में स्वतंत्रचेत्ता व्यक्तित्व और पहचान की स्वीकार्यता का प्रश्न उठाती है, उसे वाणी देती है दंडनीय हो उठती है।''

वर्णित लैंगिक असमानता की अवधारणाओं को हिन्दू धर्म के धर्मशास्त्रियों, नीतिकारों, भक्तिकालीन तथा रीतिकालीन साहित्यों ने भी अपने समर्थक से उसे विकसित होने का मौका दिया, जिसके चलते हिन्दू सामाजिक व्यवस्था में अनेक कुरीतियाँ पैदा हुई। किन्तु नवजागरण काल तथा स्वतंत्रता आन्दोलन के ख्यातिप्राप्त समाज सुधारकों तथा राष्ट्रीय नेताओं ने अन्यायपूर्ण मान्यताओं का विरोध करते हुए लैंगिक समानता से आधुनिक विचारों के माध्यम से समतामूलक सामाजिक नवनिर्माण का प्रयास किया। इन प्रयासों के बावजूद आज भी बहुसंख्यक भारतीय महिलाएँ लैंगिक असमानता की प्रवृत्ति के कारण अपमानजनक जिन्दगी की पीड़ा भोग रही है। महिलाओं की स्वाधीनता तथा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों को पूरा संरक्षण कैसे उपलब्ध कराया जाय– यह अत्यंत गंभीर सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक चुनौती है।

सामाजिक नवनिर्माण के आन्दोलन को आगे बढ़ाने खासकर दलितों के बीच नवचेतना जागरण अभियान को सफल बनाने तथा लैंगिक समानता के सपनों को साकार करने में महान समाज सुधारक यथा ज्योति राव फूले तथा घासी राम का ऐतिहासिक योगदान अविस्मरणीय माना गया है। उनकी मान्यता थी कि ब्राह्मणों द्वारा प्रतिपादित जन्म आधारित जाति–व्यवस्था दलितों के शोषण और उत्पीड़न का मुख्य कारण है। उनकी दृष्टि में ब्राह्मणों ने अपने वर्चस्व की सुरक्षा

के लिए धर्मशास्त्रों के माध्यम से ऊंच–नीच तथा छूत–अछूत को गलत अवधारणाओं को प्रोत्साहित किया। इन विचारकों के अनुसार जाति व्यवस्था की कुरीतियों को दूर करने के बदले जाति व्यवस्था के उन्मूलन से ही अनुसूचित जातियों का कल्याण हो पाएगा। डॉ0 अम्बेडकर की दृष्टि में भी दलितों के कल्याण के लिए जाति प्रथा का उन्मूलन आवश्यकता हैं स्पष्ट है कि सामाजिक सुधार की दिशा के बारे में उच्च जाति के समाज सुधारकों तथा दलित नेताओं एवं विचारकों के दृष्टिकोण में गहरा मतभेद था।

देश की आजादी की लड़ाई के दौरान गांधीजी ने सामाजिक, सांस्कृतिक राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति में महिलाओं की सक्रिय सहभागीदारी के महत्व को स्वीकार करते हुए, उन्हें स्वतंत्रता आन्दोलन में सहभागी बनने के लिए प्रेरित किया। उनके बारे में अपने विचारों को स्पष्ट करते हुए गांधीजी ने कहा था– ''स्त्री–पुरूष की गुलाम नहीं है, वह अर्द्धांगिनी है। वह सहधर्मिणी है। उसको मित्र समझना चाहिए।'' गांधीजी उस वास्तविकता के प्रति सजग थे कि भारतवर्ष की स्वतंत्रता का तब तक कोई अर्थ नहीं होगा, जब तक कि उसकी महिलाएँ अज्ञान, अंधविश्वास तथा बुरी सामाजिक परंपराओं के बंधनों में दास के रूप में बंधी रहेगी। इन बन्धनों से मुक्ति के बिना भारत किसी प्रकार से नैतिक, भौतिक और आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकता।

स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान सामाजिक पुनर्निर्माण के वादा को आदर करते हुए भारतीय संविधान में समतामूलक समाज के लक्ष्य को प्राथमिकता दी गयी। 25 नवंबर, 1949 को संविधान सभा को संबोधित करते हुए संविधान निर्माता डॉ0 अंबेडकर ने कहा था कि राजनीति के क्षेत्र में एक व्यक्ति–एक वोट के सिद्धान्त के आधार पर हम राजनीतिक समानता प्राप्त कर लेंगे, किन्तु

विषमतामूलक सामाजिक और आर्थिक संरचना के कारण सामाजिक और आर्थिक समानता का लक्ष्य अधूरा रहेगा। जब तक इस विषमता का अन्त नहीं होगा, तब तक विषमताओं से पीड़ित समुदाय के आक्रोश की ज्वाला में परिश्रम से निर्मित लोकतांत्रिक व्यवस्था जल कर समाप्त हो जाएगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची :

1. गुप्ता, सरोज कुमार, भारतीय नारी–कल, आज और कल, नई दिल्ली, पृ. 11।
2. श्री राम माहेश्वरी, भारतीय प्रशासन, नई दिल्ली, 2001।
3. मिश्रा, आर.बी. : भारतीय महिला, चुनौती और बदलाव कॉमन वेल्थ पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।
4. कुमार, अशोक : वोमन इन कान्टेम्पोररी इंडियन सोसाइटी, वोल्यूम–2, नई दिल्ली।
5. लखनपाल : चन्द्रावती, स्त्रियों की स्थिति।
6. भसीन, कमला : ह्वाअ इन पैट्रियार्ची कली फॉर वूमन, 2000।